FIRST INFORMATION REPORT
Under Section 173 B.N.S.S.

(प्रथम सूचना रिपोर्ट)
अंतर्गत धारा 173 बी. एन. एस. एस.

1. **District (जिला):** ACB DISTRICT **P.S. (थाना):** C.P.S Jaipur **Year (वर्ष):** 2025

2. **FIR No. (प्र.सू.रि.सं):** 0293 **Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय):** 13/11/2025 17:25 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	7
2	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	7A
3	भारतीय न्याय संहिता (बी एन एस), 2023	61(2)

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**

1. **Day(दिन):** मंगलवार **Date From (दिनांक से):** 11/11/2025 **Date To (दिनांक तक):** 11/11/2025

Time Period (समय अवधि): पहर **Time From (समय से):** 10:15 बजे **Time To (समय तक):** 15:36 बजे

(b) **Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 13/11/2025 **Time (समय):** 12:00 बजे

(c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ) :** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 003 **Date & Time (दिनांक एवं समय)** 13/11/2025 17:25:46 बजे

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** लिखित

5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**

1. (a) **Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी):** EAST, 20 किमी **Beat No. (बीट सं.) :** NOT APPLICABL

(b)**Address(पता):** KARALYA SAHAYAK ABHIYANTA, JVVNL PEEPLU, JILA TONK

(c **In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)**

Name of P.S (थाना का नाम): **District(State) (जिला (राज्य)):**

6. **Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):**

(a) **Name(नाम):** RATTIRAM CHOUDHARY

(b) **Father's Name (पिता का नाम):** BADRILAL CHOUDHARY

(c) **Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष):** 1987 **(d)Nationality(राष्ट्रीयता):** INDIA

(e) **UID No(यूआईडी सं.):**

(f) **Passport No. (पासपोर्ट सं.):**

Date of Issue (जारी करने की तिथि): **Place of Issue (जारी करने का स्थान):**

(g) Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN) (पहचान विवरण(राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र,पारपत्र,आधार कार्ड सं,ड्राइविंग लाइसेंस,पैन)):

S.No.	Id Type	Id Number

(h) **Occupation (व्यवसाय):**

(i) **Address(पता):**

S.No. (क्र. सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	JHIRANA, PEEPLU, PEEPLU, TONK, RAJASTHAN, INDIA
2	स्थायी पता	JHIRANA, PEEPLU, PEEPLU, TONK, RAJASTHAN, INDIA

(j) **Phone number (दूरभाष न.):** **Mobile (मोबाइल न.):** [redacted]

7. **Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):**

Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Address (पता)
1	DEEPAK SINGH YADAV AND OTHERS		पिता:RANDHEER SINGH YADAV	1. GRAM NARWAS,KOTKASIM, KOTKASIM,खैरथल-तिजारा, RAJASTHAN,INDIA

8. **Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):**

9. **Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary) (सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ट नत्थी करें)):**

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में))
1	सिक्के और मुद्रा	रुपये		8,000.00

10. **Total value of property stolen(In Rs/-)**
(चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में)): 8,000.00

11. **Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):**

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या)

12. **First Information contents (Attach separate sheet, if necessary)**
(प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):

सेवामें,श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षकभ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो टोकविषय - रिश्वत लेते हुये रंगे हाथो पकडवाने बाबत्। महोदय,निवेदन है कि मैं रतिराम चौधरी पुत्र स्व. श्री बद्रीलाल चौधरी जाति जाट उम्र 38 साल निवासी झिराना तहसील पीपलु जिला टोक का रहने वाला हु। मैंने मेरे खेत पर वर्ष 2020-21 में नये विघुत कनेक्शन हेतु फाईल विघुत विभाग पीपलू में लगायी थी। मेरे वर्ष 2023 में लाईट कनेक्शन स्वीकृत हुआ था जिसकी मैने 33750 रूपये डिमांड राशि जमा करवायी थी । मुझे स्टोर से दिनांक 21.07.2025 को तार व अन्य सामान मिले गये थे तथा दिनांक 26.09.2025 को मेरे लाईट कनेक्शन हेतु वर्क ऑर्डर जारी हुये थे। मुझे डी.पी. नही मिली थी। दिनांक 10.11.2025 को मुझे डी.पी. जारी करने के आदेश हुये थे। जिस पर मैं विघुत विभाग पीपलू में जाकर स्टोर कीपर श्री दीपक सिंह जी से मिला तो उन्होने मुझसे कहां कि स्टोर में अभी डी.पी. नही है दस दिन बाद आना। फिर मैने कहां कि मेरी फसल खराब हो रही है मुझे डी.पी. की आवश्यकता है तो कहने लगा कि 10000 रूपये दे दे मैं तेरे लिये डी.पी. की व्यवस्था कर दूंगा। मैने कहां कि 10000 रूपये किस बात के दू तो कहने लगा कि अगर 10000 हजार रूपये नही देगा तो तुझे डी.पी. नही मिलेगी। मैं अपने जायज काम के बदले श्री दीपक सिंह स्टोर कार्यालय सहायक अभियन्ता जयपुर विघुत वितरण निगम लिमिटेड पीपलु जिला टोक रिश्वत नही देना चाहता हू। मैं रिश्वत लेते हुये रंगे हाथो पकडवाना चाहता हू। मेरी दीपक सिंह जी से कोई पुरानी रंजीश व पैसो का लेन-देन बकाया नही है। मेरी रिपोर्ट पर कानूनी कार्यवाही करने की कृपा करे।प्रार्थीरतिराम चौधरी पुत्र स्व. श्री बद्रीलाल चौधरी जाति जाट उम्र 38 साल निवासी झिराना तहसील पीपलु जिला टोक। मो.न[redacted]कार्यवाही पुलिस भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो टोकदिनांक 11.11.2025 समय 10.15 ए.एम. पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक झाबर मल भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो टोक के समक्ष परिवादी श्री रतिराम चौधरी पुत्र स्व. श्री बद्रीलाल चौधरी जाति जाट उम्र 38 साल निवासी झिराना तहसील पीपलु जिला टोक ने उपस्थित होकर एक हस्तलिखित रिपोर्ट इस आशय की पेश कि मैं रतिराम चौधरी पुत्र स्व. श्री बद्रीलाल चौधरी जाति जाट उम्र 38 साल निवासी झिराना तहसील पीपलु जिला टोक का रहने वाला हु। मैंने मेरे खेत पर वर्ष 2020-21 में नये विघुत कनेक्शन हेतु फाईल विघुत विभाग पीपलू में लगायी थी। मेरे वर्ष 2023 में लाईट कनेक्शन स्वीकृत हुआ था जिसकी मैने 33750 रूपये डिमांड राशि जमा करवायी थी। मुझे स्टोर से दिनांक 21.07.2025 को तार व अन्य सामान मिले गये थे तथा दिनांक 26.09.2025 को मेरे लाईट कनेक्शन हेतु वर्क ऑर्डर जारी हुये थे। मुझे डी.पी. नही मिली थी। दिनांक 10.11.2025 को मुझे डी.पी. जारी करने के आदेश हुये थे। जिस पर मैं विघुत विभाग पीपलू में जाकर स्टोर कीपर श्री दीपक सिंह जी से मिला तो उन्होने मुझसे कहां कि स्टोर में अभी डी.पी. नही है दस दिन बाद आना । फिर मैने कहां कि मेरी फसल खराब हो रही है मुझे डी.पी. की आवश्यकता है तो कहने लगा कि 10000 रूपये दे दे मैं तेरे लिये डी.पी. की व्यवस्था कर दूंगा। मैने कहां कि 10000 रूपये किस बात के दू तो कहने लगा कि अगर 10000 हजार रूपये नही देगा तो तुझे डी.पी. नही मिलेगी। मैं अपने जायज काम के बदले श्री दीपक सिंह स्टोर कार्यालय सहायक अभियन्ता जयपुर विघुत वितरण निगम लिमिटेड पीपलु जिला टोक को रिश्वत नही देना चाहता हू। मैं रिश्वत लेते हुये रंगे हाथो पकडवाना चाहता हू। मेरी दीपक सिंह जी से कोई पुरानी रंजीश व पैसो का लेन-देन बकाया नही है। मेरी रिपोर्ट पर कानूनी कार्यवाही करने की कृपा करे। जिस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने परिवादी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट को को पढकर सुनाई गई तो परिवादी ने रिपोर्ट में अंकित तथ्यों का सही होना व रिपोर्ट अपने द्वारा हस्तलिखित करना तथा रिपोर्ट पर अपने हस्ताक्षर होना बताया तथा अपने आधार कार्ड व दिनांक 10.11.2025 को हुये डी.पी. जारी करने के आदेश की स्वप्रमाणित फोटोप्रति पेश की। परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं दरियाप्त से मामला रिश्वत राशि मांग का होकर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) के अन्तर्गत आना प्रथमदृष्टया दृष्टिगोचर होता है। समय 11 ए.एम. पर कार्यालय आलमारी में से सरकारी डिजिटल वायस रिकॉर्डर निकलवाकर उसमें एक खाली मैमोरी कार्ड डालकर परिवादी को डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर के संचालन व रखरखाव की विधि की समझाईस की जाकर उचित हिदायत दी गई। परिवादी ने बताया कि मैं आज आरोपी दीपक सिंह यादव स्टोर कीपर से मिलकर अपने डी.पी. जारी करने तथा रिश्वत राशि के सम्बन्ध में वार्ता करूगा। अतः कानि0 राजकुमार 160 को तलब कर परिवादी से आपस में परिचय करवाया गया तथा परिवादी व कानि. राजकुमार को वॉयस रिकार्डर में वायस दर्ज करने तथा रिकार्डर को चालू व बंद करने की प्रक्रिया समझाईयी। डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर मय मैमोरी कार्ड के कानि0 राजकुमार 160 को सुपुर्द कर समय 11.25 ए.एम. पर परिवादी एवं राजकुमार

कानि. 160 को वास्ते रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता हेतु ईलाका पीपलु रवाना किया गया। फर्द सुपुर्दगी रिकॉर्डर पृथक से मुर्तिब की गई। समय 1.10 पी.एम पर राजकुमार कानि. 160 मय परिवादी श्री रतिराम चौधरी के कार्यालय मे उपस्थित आया। कानि ने सरकारी डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड पेश कर बताया कि कार्यालय से मैं और परिवादी श्री रतिराम चौधरी रवाना होकर विद्युत विभाग पीपलु से कुछ दूरी पहले पेट्रोल पम्प के पास पहुचे। परिवादी को आरोपी दीपक सिंह स्टोर कीपर से रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता हेतु वायस रिकार्डर चालू करके विद्युत विभाग पीपलू रवाना कर मैं बाहर ही अपनी उपस्थिति छुपाते हुये मुकीम रहा। समय करीब आधे घण्टे बाद परिवादी वापस आया और मुझे चालू डिजिटल वाईस रिकार्डर प्रस्तुत किया जिसको लेकर मैने बन्द किया। परिवादी ने मेरे को बताया कि मेरी वार्ता दीपक सिंह जी स्टोर कीपर से हो गई है। उन्होने मुझसे डी.पी. देने की एवज में 10000 रूपये रिश्वत राशि की मांग की है तथा मेरे द्वारा कम करने की कहने पर 8000 रूपये रिश्वत राशि लेने पर सहमत हुये है। फिर मै व परिवादी पीपलु से रवाना होकर कार्यालय हाजा पर आये है। परिवादी से पूछने पर परिवादी ने कानि. के कथनो की ताईद की। डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर को चालु कर मेमोरी कार्ड मे दर्ज वार्ता को सुना गया तो कानि. व परिवादी द्वारा बताये अनुसार एवं मजमून रिपोर्ट मे वर्णित तथ्यों की पुष्टि होना पाया गया, रिश्वत राशि मांग का सत्यापन होना पाया गया। समय 1.30 पी.एम पर ट्रेप कार्यवाही प्रस्तावित होने से ट्रेप कार्यवाही में स्वतन्त्र गवाहान की आवश्यकता होने से उप निदेशक राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग टोक के नाम तहरीर लिखकर दो स्वतन्त्र गवाह तलबी हेतु श्री आसिफ खान सहायक उप निरीक्षक को रवाना किया गया। समय 1.45 पी.एम. पर श्री आसिफ खान सहायक उप निरीक्षक कार्यालय राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग टोक से मय दो स्वतन्त्र गवाह 1. श्री रवि कुमार पुत्र श्री महेश चन्द जाति वालमिकी उम्र 36 साल निवासी 180 कठपुतली कॉलोनी, भवानी सिंह रोड जयपुर (राज.) हाल कनिष्ठ लिपिक कार्यालय राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग टोक। मोबाईल नम्बर [redacted] श्री राशु मोहम्मद पुत्र श्री अशफाक मोहम्मद जाति मुसलमान उम्र 27 साल निवासी वार्ड न. 15 तहसील नैनवा जिला बूंदी हाल कनिष्ठ लिपिक कार्यालय राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग टोक मोबाईल नम्बर [redacted] के उपस्थित कार्यालय आये। उक्त दोनो गवाहान को आने के मन्तव्य से अवगत कराया गया। कार्यालय पर उपस्थित परिवादी श्री रतिराम चौधरी से आपस मे परिचय करवाया जाकर परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पढकर सुनाया एवं पढाया जाकर दोनो स्वतन्त्र गवाहान के परिवादी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर हस्ताक्षर करवाये गये। रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता के डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर मे लगे मेमोरी कार्ड मे दर्ज वार्ता को चालुकर मुख्य-मुख्य अंश सुनाया गया। गवाहान ने दर्ज वार्ता को सुनकर रिश्वत राशि का मांग सत्यापन होना बताया। उक्त दोनों गवाहान ने रिपोर्ट को पढ व समझ कर की जाने वाली कार्यवाही में उपस्थित रहने हेतु अपनी-अपनी सहमति प्रदान की। मांग सत्यापन वार्ता का मेमोरी कार्ड मय वायस रिकार्डर के अपने पास सुरक्षित रखा गया समय 2 पी.एम. पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा कार्यालय मे उपस्थितशुद्वा परिवादी श्री रतिराम चौधरी पुत्र स्व. श्री बद्रीलाल चौधरी जाति जाट उम्र 38 साल निवासी झिराना तहसील पीपलु जिला टोक को आरोपी को रिश्वत में दी जाने वाली राशि पेश करने हेतु कहने पर परिवादी ने अपने पास से भारतीय चलन मुद्रा के 500-500 रूपये के 16 नोट कुल राशि 8000 रूपये प्रस्तुत किये। तत्पश्चात उक्त नोटों के नम्बरों को फर्द में अंकित करवाये जाकर कार्यालय की अलमारी से फिनोल्फ्थलीन पाउडर की शीशी श्रीमति नमिता चौधरी महिला कानि. 316 से निकलवाई जाकर टेबल पर अखबार बिछाकर श्रीमति नमिता चौधरी महिला कानि. 316 से ही स्वतंत्र गवाहान/कार्यालय स्टाफ की उपस्थिति में उक्त नोटों के दोनो तरफ फिनोल्फ्थलीन पाउडर लगवाया गया। परिवादी श्री रतिराम चौधरी के पहनी हुयी पेन्ट की बायी जेब की तलाशी स्वतत्र गवाह श्री रवि कुमार से लिवाई गयी तो उसमें कोई भी वस्तु नहीं होना पाया गया, जिस पर उक्त पाउडर लगी हुयी रिश्वत राशि 8000 रूपये परिवादी के पहनी हुयी पेन्ट की बायी जेब में श्रीमति नमिता चौधरी महिला कानि. 316 से रखवायी गयी। तत्पश्चात् एक साफ डिस्पोजल गिलास में साफ पानी भरवाकर मंगवाया जाकर इसमें एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डलवाकर घोल तैयार करवाया जाकर गवाहान एवं परिवादी को दिखाया गया तो उन्होने घोल का रंग अपरिवर्तित होना स्वीकार किया। इस घोल में श्रीमति नमिता चौधरी महिला कानि. 316 की उंगलियों को डूबोकर धुलवाई गई तो घोल का रंग गुलाबी हुआ। इस प्रकार परिवादी तथा स्वतंत्र गवाहान के समक्ष फिनोल्फ्थलीन पाउडर एवं सोडियम कार्बोनेट पाउडर की रासायनिक प्रतिक्रिया प्रदर्शित कराकर उसके मन्तव्य से अवगत कराते हुए बताया कि यदि आरोपी रिश्वत में उक्त राशि को अपने हाथों से ग्रहण करेगा तो उक्त नोटों पर लगा फिनोलफ्थलीन पाउडर उसके हाथों की अंगुलियों पर लग जाएगा और जब उसके हाथों की उंगलियों को उपरोक्तानुसार धुलाई जाएगी तो घोल का रंग गुलाबी हो जाएगा। जिससे यह प्रमाणित होगा कि आरोपी ने रिश्वती राशि अपने हाथों से ग्रहण की है। उक्त गुलाबी घोल को श्रीमति नमिता चौधरी महिला कानि. 316 से फिकवाया तथा फिनोल्फ्थलीन पाउडर लगाने में काम में लिये गये अखबार व डिस्पेजल गिलास को जलाकर नष्ट करवाया गया तथा फिनोफ्थलीन पाउडर की शीशी को श्रीमति नमिता चौधरी महिला चौधरी 316 से कार्यालय आलमारी में रखवाया गया। परिवादी को यह भी हिदायत दी गई कि वह आरोपी के द्वारा रिश्वती राशि मांगने पर ही उसे देवे तथा रिश्वती राशि देने से पूर्व या देने के बाद उनसे हाथ नहीं मिलावे तथा न ही उसके शरीर के किसी अंग को छुए। यदि अभिवादन की आवश्यकता हो तो हाथ जोड़कर अभिवादन करे। परिवादी को यह भी हिदायत दी गई कि रिश्वती राशि देते समय जल्दबाजी व घबराहट का प्रर्दशन न करे तथा ट्रेप पार्टी के

सामने परिवादी को मिस कॉल करने/सिर पर हाथ फेरकर रिश्वत लेन-देन होने का ईशारा करने हेतु समझाया गया। गवाहान तथा ट्रेप पार्टी के सदस्यों को यह भी हिदायत दी गई कि यथासंभव अपनी-अपनी उपस्थिति को छिपाते हुए परिवादी तथा आरोपी के मध्य रिश्वती राशि के लेन-देन को देखने व सुनने का प्रयास करे। ट्रेप पार्टी के सभी सदस्यों के हाथ साफ पानी व साबुन से धुलवाये गये। फर्द दृष्टान्त फिनोफ्थलीन पाउडर एवं सोडियम कार्बोनेट पृथक से तैयार की जाकर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। समय 2.40 पी.एम. पर सरकारी डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर में नया मेमोरी कार्ड डालकर वायस रिकार्डर को राजकुमार कानि. को सुपर्द कर परिवादी व राजकुमार कानि. 160 एवं श्री मोहम्मद जुनैद हैड कानि. 32 मय श्री ईश्वर प्रकाश कानि. 256 को अलग-अलग प्राईवेट मोटरसाईकिल से रवाना कर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय श्री आसिफ खान सहायक उप निरीक्षक, श्री जलसिंह कानि. 248, श्री गणेश सिंह कानि. 375 मय स्वतंत्र गवाहान श्री रवि कुमार, श्री राशु मोहम्मद तथा सरकारी नया मेमारी कार्ड 16 जीबी को सरकारी कैमेरे में डालकर श्री जलसिंह कानि. 248 को सुपुर्द कर हिदायत दी गई कि बीएनएसएस के नवीन प्रावधानो के अनुसार मौके की विडियोग्राफी करवायी जाना आवश्यक होने विडियोग्राफी कर मैमोरी कार्ड पेश करने की हिदायत की गई तथा मय लेपटॉप प्रिन्टर, ट्रेप बॉक्स व आवश्यक लेखन सामग्री के मय प्राईवेट वाहन के ईलाका पीपलु रवाना हुआ। चौकी हाजा पर श्रीमति नमिता चौधरी महिला कानि. 316 को छोडा गया। समय 03.05 पी.एम. पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय हमराहीयान के उपरोक्त फिगरा का रवानाशुदा कस्बा पीपलु से पहले पेट्रोल पम्प के पास रूका वाहनो को एक साईड में खडा करवाया गया तथा समय 03.06 पी.एम. पर श्री राजकुमार कानि. 160 से रिश्वत राशि लेन-देन वार्ता हेतु वॉयस रिकार्डर चालू करवाकर परिवादी श्री रतिराम चौधरी को सुपुर्द करा परिवादी को आरोपी के कार्यालय कार्यालय विघुत विभाग पीपलु रवाना किया गया तथा परिवादी के पीछे-पीछे मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय हमराहीयान के रवाना हो विघुत विभाग पीपलु के पास पहुचकर आस-पास अपनी उपस्थिति छुपाते हुये परिवादी के निर्धारित ईशारे के इन्तजार मे मुकिम हुआ। समय 4.45 पी.एम पर दर्ज रहे कि परिवादी श्री रतिराम चौधरी पुत्र स्व. श्री बद्रीलाल चौधरी जाति जाट उम्र 38 साल निवासी झिराना तहसील पीपलु जिला टोक ने समय 3.36 पी.एम. पर अपने सिर पर हाथ फेरकर रिश्वत राशि लेनदेन का ईशारा किया जिस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय उपरोक्त दोनो स्वतन्त्र गवाह मय ट्रैप पार्टी के सदस्य, श्री आसिंफ खान सहायक उप निरीक्षक, मोहम्मद जुनैद हैड कानि. 32, जलसिंह कानि. 248, ईश्वर प्रकाश कानि. 256, राजकुमार कानि. 160, श्री गणेश सिंह कानि. 375 मय प्राईवेट वाहनों मय ट्रैप बाक्स के परिवादी के पास कार्यालय सहायक अभियन्ता जयपुर विघुत वितरण निगम लिमिटेड पीपलु जिला टोक के परिसर में पहुचा तथा परिवादी ने वायस रिकार्डर श्री राजकुमार कानि. 160 ने लेकर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को पेश किया। वायस रिकार्डर को बंद कर राजकुमार कानि. के पास सुरक्षित रखवाया गया। परिवादी ने अपने पास खडे व्यक्ति की और ईशारा कर बताया कि यह दीपक सिंह जी स्टोर कीपर साहब है। जिन्होने मुझसे रिश्वत राशि अपने कार्यालय की टेबल पर रखने हेतु ईशारा किया जिस पर मैने रिश्वत राशि टेबल पर रखी तथा पुनः इनके द्वारा रिश्वत राशि को इनकी टेबल पर रखे कागज में रखने हेतु कहने पर टेबल से रिश्वत राशि उठाकर टेबल पर रखे कागज में रिश्वत राशि को रखकर कागज को मेरे द्वारा मोड दिया। दीपक जी ने मेरी तरफ चुप रहने का ईशारा किया तथा स्वंय ऑफिस से बाहर जाकर किसी की तरफ हाथ का ईशारा कर वापस कार्यालय में आये तभी एक व्यक्ति कार्यालय में आया। जिसकी तरफ दीपक जी ने रिश्वत राशि मय कागज उठाने का ईशारा किया जिस पर अज्ञात व्यक्ति ने रिश्वत राशि मय कागज के उठाकर कार्यालय से बाहर जाकर मोटरसाईकिल लेकर रवाना हो गया। दीपक जी मुझे अपने साथ लेकर कार्यालय से बाहर आये तब मैने आपको रिश्वत राशि लेन-देन का ईशारा किया। इस पर उक्त व्यक्ति से मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने अपना व हमराहीयान का परिचय देकर अपने आने का मंतव्य बताया तथा उक्त व्यक्ति से उसका नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम दीपक सिंह यादव पुत्र श्री रणधीर सिंह यादव जाति यादव उम्र 32 साल निवासी ग्राम नरवास पुलिस थाना कोटकासिम तहसील कोटकासिम जिला खैरथल तिजारा हाल सहायक हेल्पर प्रथम (स्टोर कीपर) कार्यालय सहायक अभियन्ता जयपुर विघुत वितरण निगम लिमिटेड पीपलु जिला टोक होना बताया। परिवादी व दीपक सिंह यादव को हमराह लेकर परिसर में स्थित दीपक सिंह यादव सहायक हेल्पर प्रथम के कार्यालय में पहुचा। आरोपी से परिवादी से रिश्वत राशि प्राप्त करने के बारें में पूछा गया तो कहने लगा कि मैंने कोई रिश्वत राशि नही ली है नाहि मैंने किसी को रिश्वत राशि देकर भगा दिया है। इस पर परिवादी ने स्वतः ही बताया कि मैने वर्ष 2020-21 में नये विघुत कनेक्शन हेतु फाईल विघुत विभाग पीपलू में लगायी थी। मेरे वर्ष 2023 में लाईट कनेक्शन स्वीकृत हुआ था जिसकी मैने 33750 रूपये डिमांड राशि जमा करवायी थी। मुझे स्टोर से दिनांक 21.07.2025 को तार व अन्य सामान मिले गये थे तथा दिनांक 26.09.2025 को मेरे लाईट राशि हेतु वर्क ऑर्डर जारी हुये थे। मुझे डी.पी. नही मिली थी। दिनांक 10.11.2025 को मुझे डी.पी. जारी करने के आदेश हुये थे। जिस पर मैने दीपक सिंह जी स्टोर कीपर से मिला तथा डी.पी. देने हेतु कहां तो इन्होने डी.पी. देने हेतु मुझसे 10000 रूपये रिश्वत के मांगे। फिर मैने आज आपके कार्यालय पर आकर इसकी शिकायत की तथा आज जब मै इनसे रिश्वत मांग सत्यापन हेतु इनके पास आया तथा मैने इनसे अपने काम के बारे में कहा तो इन्होने मुझसे डी.पी. देने हेतु 10000 रूपये रिश्वत की मांग की मैने कम करने हेतु कहने पर यह 8000 रूपये रिश्वत राशि लेने पर सहमत हुये। इनकी मांग के अनुसरण में मैने इनको रिश्वत राशि देने हेतु इनके कार्यालय में गया तो यह किसी काम से दुसरे कार्यालय में चले गये मै इनके

इश्यू करने के आदेश हुये थे। जिस पर परिवादी ने दीपक सिंह जी यादव स्टोर कीपर से मिला तथा डी.पी. देने हेतु कहां तो दीपक सिंह ने डी.पी. देने हेतु परिवादी से 10000 रूपये रिश्वत राशि की मांग की। दिनांक 11.11.2025 को परिवादी श्री रतिराम चौधरी अपने काम के लिये आरोपी दीपक सिंह यादव सहायक हेल्पर प्रथम (स्टोर कीपर) से मिला तथा डी.पी. देने हेतु आरोपी से कहां तो आरोपी ने परिवादी को डी.पी. देने की एवज में 10000 रूपये रिश्वत राशि की मांग कर परिवादी द्वारा कम करने की कहने पर आरोपी ने 8000 रूपये रिश्वत राशि लेने पर सहमत हुआ। रिश्वत राशि देने पर डी.पी. देने हेतु कहां। आरोपी के मांग के अनुसरण में परिवादी को रिश्वत राशि 8000 रूपये देकर आरोपी दीपक सिंह यादव सहायक हेल्पर प्रथम (स्टोर कीपर) के पास उनके कार्यालय में भेजा गया तो आरोपी ने परिवादी को डी.पी. देने की कहकर परिवादी से रिश्वत राशि अपने कार्यालय की टेबल पर रखने हेतु ईशारा किया जिस पर परिवादी ने रिश्वत राशि टेबल पर रखी तथा पुनः आरोपी द्वारा परिवादी से रिश्वत राशि को कार्यालय टेबल पर रखे कागज में रखने हेतु कहने पर परिवादी ने टेबल से रिश्वत राशि उठाकर टेबल पर रखे कागज में रिश्वत राशि को रखकर कागज को मोड दिया। आरोपी ने परिवादी की तरफ चुप रहने का ईशारा किया तथा स्वंय ऑफिस से बाहर जाकर किसी की तरफ हाथ का ईशारा कर वापस कार्यालय में आया तभी एक व्यक्ति कार्यालय में आया। जिसकी तरफ आरोपी ने रिश्वत राशि मय कागज उठाने का ईशारा किया जिस पर अज्ञात व्यक्ति ने रिश्वत राशि मय कागज के उठाकर कार्यालय से बाहर जाकर मोटरसाईकिल लेकर रवाना हो गया। काफी तलाश करने पर रिश्वत राशि सहायक अभियन्ता कार्यालय जयपुर विघुत वितरण निगम पीपलु से नाथडी चौराहे पर जाने वाले आम सडक पर करीब 150-200 मीटर की दूरी पर स्थित बोपता खाल के पास आम रोड के दाहिनी साईड के गड्ढे से बरामद हुई। आरोपी दीपक सिंह यादव के कार्यालय टेबल के धोवण का रंग गुलाबी प्राप्त हुआ। इस प्रकार आरोपी द्वारा अपने पद का दुरूपयोग कर स्वंय के लिये अनुचित लाभ प्राप्त करने के आशय से आपराधिक षडयंत्रपूर्वक उक्त रिश्वत राशि अज्ञात व्यक्ति के मार्फत प्राप्त की। आरोपीगणो का उक्त कृत्य अपराध धारा 7, 7ए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) व 61(2) बी.एन.एस. 2023 का घटित करना पाया जाता है। आरोपी दीपक सिंह यादव पुत्र श्री रणधीर सिंह यादव जाति यादव उम्र 32 साल निवासी ग्राम नरवास पुलिस थाना कोटकासिम तहसील कोटकासिम जिला तिजारा खैरथल हाल अग्रवाल अस्पताल के पास कस्बा टोक जिला टोक हाल सहायक हेल्पर प्रथम (स्टोर कीपर) कार्यालय सहायक अभियन्ता जयपुर विघुत वितरण निगम लिमिटेड पीपलु जिला टोक को पृथक से जरिये फर्द गिरफ्तार किया जाता है। उक्त सम्पूर्ण ट्रेप कार्यवाही की ऑडियो विडियो रिर्काडिंग कार्यालय के सरकारी कैमरे में मैमोरी कार्ड डालकर श्री जलसिंह कानि. 248 से करवाई गई। उक्त कार्यवाही में प्रकाश की उपयुक्त व्यवस्था रही। उक्त फर्द मेरे निर्देशन में कानि. 256 श्री ईश्वर प्रकाश ए.सी.बी. टोक से कार्यालय लेपटाप से तैयार करवायी गयी। उक्त फर्द समय 4.45 पी.एम. पर प्रारम्भ कर समय 6.15 पी.एम. पर समाप्त की गई। समय 6.20 पी.एम. पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय स्वतन्त्र गवाह, मय परिवादी मय डिटेनशुदा दीपक सिंह यादव सहायक हेल्पर प्रथम (स्टोर कीपर) कार्यालय सहायक अभियन्ता जयपुर विघुत वितरण निगम लिमिटेड पीपलु जिला टोक मय जाप्ता मय जप्तशुदा एवं शील्डशुदा आर्टीकल व रिश्वत राशि मय ट्रेप बॉक्स, कार्यालय लेपटाप, प्रिन्टर मय सरकारी कैमरा मय प्राईवेट वाहनो के कार्यालय सहायक अभियन्ता जयपुर विघुत वितरण निगम लिमिटेड पीपलु जिला टोक से एसीबी कार्यालय टोक के लिए रवाना हुआ। समय 6.40 पी.एम. पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय हमराहीयान जाप्ता मय परिवादी मय गवाहान एवं डिटेनशुदा आरोपी दीपक सिंह यादव मय शील्डशुदा सेम्पल व रिश्वत राशि, जप्तशुदा आर्टिकल आदि के मय प्राईवेट वाहनो के ए.सी.बी. कार्यालय टोक पहुचा। समय 6.45 पी.एम पर रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता दिनांक 11.11.2025 की जो ब्यूरो के डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर के मेमोरी कार्ड मे दर्ज है। उक्त डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर को दोनो गवाहान के समक्ष उपस्थितशुदा श्री अशोक जांगिड सहायक अभियन्ता कार्यालय सहायक अभियन्ता जयपुर विघुत वितरण निगम लिमिटेड पीपलु जिला टोक को चलाकर सुनाई गई तो श्री अशोक जांगिड ने उक्त वार्ता को सुनकर रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता मे एक आवाज श्री दीपक सिंह यादव हाल सहायक हेल्पर प्रथम (स्टोर कीपर) कार्यालय सहायक अभियन्ता जयपुर विघुत वितरण निगम लिमिटेड पीपलु जिला टोक की होने की ताईद की। फर्द पहचान आवाज पृथक से मुर्तिब कर संबंधित के हस्ताक्षर करवाये गये। समय 8 पी.एम पर स्वतन्त्र गवाहान के समक्ष आरोपी दीपक सिंह यादव पुत्र श्री रणधीर सिंह यादव जाति यादव उम्र 32 साल निवासी ग्राम नरवास पुलिस थाना कोटकासिम तहसील कोटकासिम जिला खैरथल तिजारा हाल सहायक हेल्पर प्रथम (स्टोर कीपर) कार्यालय सहायक अभियन्ता जयपुर विघुत वितरण निगम लिमिटेड पीपलु जिला टोक को जरिए फर्द गिरफ्तार किया गया। समय 8.30 पी. एम. पर दिनांक 11.11.2025 को रूबरू परिवादी श्री रतिराम चौधरी व आरोपी श्री दीपक सिंह यादव हाल सहायक हेल्पर प्रथम (स्टोर कीपर) कार्यालय सहायक अभियन्ता जयपुर विघुत वितरण निगम लिमिटेड पीपलु जिला टोक के मध्य हुई रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता जो ब्यूरो के उक्त वॉइस रिकॉर्डर में लगे मेमोरी कार्ड में दर्ज हैं। वॉईस रिकॉर्डर को चालूकर गवाहान व परिवादी के समक्ष लैपटॉप से कनेक्ट कर शब्द व शब्द सुन श्री राजकुमार कानि. 160 की मदद से फर्द ट्रांस्क्रिप्ट तैयार की जाकर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। उक्त वार्ता के 4 सीडियो में तैयार करवायी गयी। तीन सीडियो को अलग-अलग कपड़े की थैली में रखकर सिलचिट कर मार्क ए-1, ए-2, ए-3 अंकित किया जाकर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाये गये। एक सी.डी को अनुसंधान अधिकारी के लिये कागज के लिफाफे मे रखी गई। समय 10 पी.एम. पर

दिनांक 11.11.2025 को रूबरू परिवादी श्री रतिराम चौधरी व आरोपी श्री दीपक सिंह यादव हाल सहायक हेल्पर प्रथम (स्टोर कीपर) कार्यालय सहायक अभियन्ता जयपुर विघुत वितरण निगम लिमिटेड पीपलु जिला टोक के मध्य हुई रिश्वत लेन-देन वार्ता जो ब्यूरो के उक्त वॉइस रिकॉर्डर में लगे मेमोरी कार्ड में दर्ज हैं। वॉईस रिकॉर्डर को चालूकर गवाहान व परिवादी के समक्ष लैपटॉप से कनेक्ट कर शब्द व शब्द सुन श्री राजकुमार कानि. 160 की मदद से फर्द ट्रांस्क्रिप्ट तैयार की जाकर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। उक्त वार्ता के 4 सीडियो में तैयार करवायी गयी। तीन सीडियो को अलग-अलग कपड़े की थैली में रखकर सिलचिट कर मार्क बी-1, बी-2, बी-3 अंकित किया जाकर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाये गये। एक सी.डी को अनुसंधान अधिकारी के लिये कागज के लिफाफे मे रखी गई। आरोपी द्वारा वर्तमान में श्री सतीश जैन पुत्र श्री रतनलाल जैन निवासी तहसील के आगे, संस्कार रोड पीपलु के यहा किराये से रहना बताया। नावक्त होने से कल दिनांक 12.11.2025 को आरोपी के किराये के रिहायशी मकान की खाना तलाशी ली जावेगी। इसी दौराने श्री मोहम्मद जुनैद हैड कानि. 32 मय सरकारी वाहन मय चालक गणेश सिंह 375 के चिकित्सा अधिकारी सआदत चिकित्सालय टोक व थानाधिकारी पुलिस थाना कोतवाली जिला टोक के नाम तहरीर मुर्तिब कर आरोपी श्री दीपक सिंह यादव हाल सहायक हेल्पर प्रथम (स्टोर कीपर) कार्यालय सहायक अभियन्ता जयपुर विघुत वितरण निगम लिमिटेड पीपलु जिला टोक का राजकीय चिकित्सालय में स्वास्थ्य परीक्षण करवा बाद जांच पुलिस थाना कोतवाली में सुरक्षित सुरक्षार्थ जमा करवाने की हिदायत कर रवाना किया। समय 11.30 पी.एम पर मोहम्मद जुनैद हैड कानि. 32 मय सरकारी वाहन मय चालक गणेश सिंह 375 के आरोपी श्री दीपक सिंह यादव हाल सहायक हेल्पर प्रथम (स्टोर कीपर) कार्यालय सहायक अभियन्ता जयपुर विघुत वितरण निगम लिमिटेड पीपलु जिला टोक का स्वास्थय परीक्षण करवाकर आरोपी को कोतवाली टोक में सुरक्षार्थ जमा करवाकर रसीद प्राप्त कर हाजिर आये। समय 11.40 पी.एम. पर दिनांक 11.11.2025 को परिवादी श्री रतिराम चौधरी व आरोपी श्री दीपक सिंह यादव हाल सहायक हेल्पर प्रथम (स्टोर कीपर) कार्यालय सहायक अभियन्ता जयपुर विघुत वितरण निगम लिमिटेड पीपलु जिला टोक के मध्य रूबरू हुई रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता व रिश्वत लेन देन वार्ता हुई से सम्बन्धित मेमोरी कार्डस KDM 16 GB कम्पनी के 2 नग को एक सफेद कपडे की थैली में रखकर सिल चिट कर मार्क एम-1 अंकित कर सम्बधितो के हस्ताक्षर करवा कब्जे ब्यूरो लिया गया। फर्द पृथक से तैयार कर सम्बन्धितो के हस्ताक्षर करवाये गये । दिनांक 12.11.2025 समय 00.15 ए.एम. पर बीएनएसएस की धारा 105 में अंकित प्रावधानो के अनुसार ट्रेप कार्यवाही के दौरान मौके पर श्री जलसिंह कानि. 248 से विडियोग्राफी करवायी गयी थी। श्री जलसिंह कानि. 248 ने मौके पर की गई विडियोग्राफी का मूल मेमोरी कार्ड प्रस्तुत किया। श्री जलसिंह कानि. 248 की मदद से मैमोरी कार्ड को सरकारी लेपटोप से कनैक्ट कर उक्त विडियो के 4 पेनड्राईव 16-16 जी.बी. PENDANT कम्पनी के तैयार करवाये गये। 3 पेनड्राईवो को कपड़े की थैली में रखकर सिलचिट कर मार्क D-1, D-2, D-3 अंकित किया जाकर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाये गये। एक पेनड्राईव अनुसंधान अधिकारी के लिये कागज के लिफाफे मे रखा गया। मूल मैमोरी कार्ड 1 नग को कपड़े की थैली में रखकर सिलचिट कर मार्क एम-2 अंकित किया जाकर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाये गये। फर्द पृथक से मुर्तिब की गई। समय 00.45 ए.एम. पर जब्तशुदा सिल्डचिट रिश्वती राशि 8000 रूपये मार्क एन सिल्ड चिट शुदा धोवन की शिशियां मार्क सी-1, सी-2 तथा रूई के पोहे का शील्डशुदा पैकिट मार्क "सी" शील्डशुदा पैकिट 6 सीडियॉ सफेद पृथक-पृथक कपडे की थैली में मार्क ए-1, ए-2, ए-3, बी-1, बी-2, बी-3 तथा शील्डशुदा पैकिट मोबाईल मार्क- एम शील्डशुदा पैकिट मैमोरी कार्ड एम-1 शील्डशुदा पैकिट 3 पेनड्राईव सफेद पृथक-पृथक कपडे की थैली में रखकर मार्क D-1, D-2, D-3 शील्डशुदा पैकिट मेमोरी कार्ड मार्क- एम-2 इत्यादी को मालखाना इन्चार्ज श्री आसिफ खान स.उ.नि. को सुपुर्द कर कार्यालय के मालखाना में सुरक्षित रखवाये। समय 1.15 ए.एम. पर स्वतन्त्र गवाहान व परिवादी के समक्ष दौराने ट्रेप कार्यवाही उपयोग में ली गई ब्रास-सील का अवलोकन करवाया जाकर फर्द पर नमूना सील अंकित कर ब्रास सील को कार्यालय परिसर के बाहर पत्थर से तुड़वाई जाकर नष्ट की गई। फर्द नमूना व नाषानी नमूना सील मुर्तिब की जाकर हाजरिन को पढ़ कर सुनाई गयी, सुन-समझ कर व पढ़कर सही मान अपने-अपने हस्ताक्षर किये। समय 2.20 ए.एम. पर श्री राजकुमार कानि. 160 ने रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता व रिश्वत लेन देन वार्ता की फर्द ट्रांसक्प्टि बनाने एवं उक्त मेमोरी कार्ड मे दर्ज वार्ताओ का सीडियो में तैयार करने के संबध मे बी.एन.एस.एस. की धारा 63(4)(ग) के प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया। जो बाद अवलोकन शामिल पत्रावली किया गया। समय 3 ए.एम. पर श्री जलसिंह कानि. 248 ने दौराने ट्रेप कार्यवाही बी.एन.एस.एस. के प्रावधानो के अनुसार मौके पर करवायी गई विडियोग्राफी का मेमोरी कार्ड तैयार करने तथा मैमोरी कार्ड से पैनड्राईव तैयार करने के संबध मे बी.एन.एस. एस. की धारा 63(4)(ग) के प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया। जो बाद अवलोकन शामिल पत्रावली किया गया। समय 3.30 ए.एम. पर रिश्वत राशि मांग सत्यापन एवं रिश्वत राशि लेन देन वार्ता की ट्रांसक्प्टि, मेमोरी कार्ड, सीडियॉ एवं मौके की विडियोगाफ्री के मैमोरी कार्ड, पैनड्राईव के संबध मे बी.एन.एस.एस. की धारा 63(4)(ग) साक्ष्य अधिनियम के प्रमाण पत्र तैयार कर शामिल पत्रावली किया गया। समय 8.30 ए.एम. पर श्री मोहम्मद जुनैद हैड कानि. 32 मय सरकारी वाहन मय चालक गणेश सिंह 375 के आरोपी को पुलिस थाना कोतवाली टोक से लाने हेतु उचित हिदायत देकर रवाना किया गया। समय 9 ए.एम. पर श्री मोहम्मद जुनैद हैड कानि. 32 मय सरकारी वाहन मय चालक गणेश सिंह 375 के फिकराबाला का रवानाशुदा आरोपी श्री दीपक सिंह यादव हाल सहायक हेल्पर प्रथम (स्टोर कीपर) कार्यालय सहायक अभियन्ता जयपुर

विघुत वितरण निगम लिमिटेड पीपलु जिला टोक को पुलिस थाना कोतवाली टोक से लेकर उपस्थित कार्यालय आये। समय 9.15 ए.एम. पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने आरोपी दीपक सिंह से अज्ञात व्यक्ति दिनांक 11.11.2025 को उसके कार्यालय से रिश्वत राशि लेकर जाने के बारे में पूछने पर तथा दिलासा देने पर भी अनभिज्ञता जाहिर की। मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय हमराह एसीबी स्टाफ मय स्वतंत्र गवाह मय परिवादी मय गिरफ्तारशुदा आरोपी श्री दीपक सिंह यादव हाल सहायक हेल्पर प्रथम (स्टोर कीपर) कार्यालय सहायक अभियन्ता जयपुर विघुत वितरण निगम लिमिटेड पीपलु जिला टोक मय कार्यालय लेपटाप मय प्रिन्टर मय सरकारी वाहन मय चालक गणेश सिंह के आरोपी के किराये के निवास स्थान श्री सतीश जैन पुत्र श्री रतनलाल जैन निवासी तहसील के आगे, संस्कार रोड पीपलु की खाना तलाशी एवं तलाश अज्ञात मुलिजम हेतु रवाना हुआ। समय 10.15 ए.एम. पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय हमराहीयान जाप्ता मय गिरफ्तारशुदा आरोपी श्री दीपक सिंह यादव मय स्वतंत्र गवाहान मय परिवादी के फिकराबाला का रवानाशुदा अज्ञात आरोपी की तलाश नाथडी, झिराना करता हुआ आरोपी के किराये के निवास स्थान पीपलू पर पहुचा। जहां पर पृथक से खाना तलाशी मुर्तिब की गई। समय 11.15 पर बाद खाना तलाशी मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय हमराहीयान मय आरोपी के ए.सी.बी. चौकी टोक के लिए रवाना हुआ। समय 12.30 पी.एम. पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय हमराहीयान जाप्ता मय गिरफ्तारशुदा आरोपी श्री दीपक सिंह यादव मय स्वतंत्र गवाहान मय परिवादी के फिकराबाला का रवानाशुदा अज्ञात आरोपी की तलाश पतारसी कस्बा पीपलु, ग्राम नाथडी करता हुआ ए.सी.बी. चौकी टोक आया। समय 12.45 पी.एम. पर परिवादी रतिराम चौधरी व दोनों स्वतन्त्र गवाहान श्री रवि कुमार व श्री राशु मोहम्मद को उचित हिदायत कर कार्यालय से रूखसत किया गया।उपरोक्त तथ्यो एवं परिस्थितियो से पाया कि परिवादी ने खेत पर वर्ष 2020-21 में नये विघुत कनेक्शन हेतु फाईल विघुत विभाग पीपलू में लगायी थी। वर्ष 2023 में लाईट कनेक्शन स्वीकृत हुआ था। परिवादी द्वारा डिमांड राशि 33750 रूपये जमा करवाये गये थे। परिवादी को स्टोर से दिनांक 21.07.2025 को तार व अन्य सामान मिल गये थे लेकिन डी.पी. नही मिली थी। दिनांक 26.09.2025 को परिवादी के लाईट कनेक्शन हेतु वर्क ऑर्डर जारी हुये थे। दिनांक 10.11.2025 को परिवादी को डी.पी. इश्यू करने के आदेश हुये थे। जिस पर परिवादी दीपक सिंह यादव स्टोर कीपर से मिला तथा डी.पी. देने हेतु कहां तो दीपक सिंह ने डी.पी. देने हेतु परिवादी से 10000 रूपये रिश्वत राशि की मांग की। दिनांक 11.11.2025 को परिवादी श्री रतिराम चौधरी अपने काम के लिये आरोपी दीपक सिंह यादव सहायक हेल्पर प्रथम (स्टोर कीपर) से मिला तथा डी.पी. देने हेतु आरोपी से कहां तो आरोपी ने परिवादी को डी.पी. देने की एवज में 10000 रूपये रिश्वत राशि की मांग कर परिवादी द्वारा कम करने की कहने पर आरोपी ने 8000 रूपये रिश्वत राशि लेने पर सहमत हुआ। रिश्वत राशि देने पर डी.पी. देने हेतु कहां। आरोपी के मांग के अनुसरण में परिवादी को रिश्वत राशि 8000 रूपये देकर आरोपी दीपक सिंह यादव सहायक हेल्पर प्रथम (स्टोर कीपर) के पास उनके कार्यालय में भेजा गया तो आरोपी ने परिवादी को डी.पी. देने की कहकर परिवादी से रिश्वत राशि अपने कार्यालय की टेबल पर रखने हेतु ईशारा किया जिस पर परिवादी ने रिश्वत राशि टेबल पर रखी तथा पुनः आरोपी द्वारा परिवादी से रिश्वत राशि को कार्यालय टेबल पर रखे कागज में रखने हेतु कहने पर परिवादी ने टेबल से रिश्वत राशि उठाकर टेबल पर रखे कागज में रिश्वत राशि को रखकर कागज को मोड दिया। आरोपी ने परिवादी की तरफ चुप रहने का ईशारा किया तथा स्वंय ऑफिस से बाहर जाकर किसी की तरफ हाथ का ईशारा कर वापस कार्यालय में आया तभी एक व्यक्ति कार्यालय में आया। जिसकी तरफ आरोपी ने रिश्वत राशि मय कागज उठाने का ईशारा किया जिस पर अज्ञात व्यक्ति ने रिश्वत राशि मय कागज के उठाकर कार्यालय से बाहर जाकर मोटरसाईकिल लेकर रवाना हो गया। काफी तलाश करने पर रिश्वत राशि सहायक अभियन्ता कार्यालय जयपुर विघुत वितरण निगम पीपलु से नाथडी चौराहे पर जाने वाले आम सडक पर करीब 150-200 मीटर की दूरी पर स्थित बोपता खाल के पास आम रोड के दाहिनी साईड के गढ्ढे से बरामद हुई। आरोपी दीपक सिंह यादव के कार्यालय टेबल के धोवण का रंग गुलाबी प्राप्त हुआ। इस प्रकार आरोपी द्वारा अपने पद का दुरूपयोग कर स्वंय के लिये अनुचित लाभ प्राप्त करने के आशय से आपराधिक षडयंत्रपूर्वक उक्त रिश्वत राशि अज्ञात व्यक्ति के मार्फत प्राप्त की। आरोपीगणो का उक्त कृत्य अपराध धारा 7, 7ए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) व 61(2) बी.एन.एस. 2023 का जुर्म प्रथम दृष्ट्या प्रमाणित पाया गया।अतः उक्त आरोपीगण 1. दीपक सिंह यादव पुत्र श्री रणधीर सिंह यादव जाति यादव उम्र 32 साल निवासी ग्राम नरवास पुलिस थाना कोटकासिम तहसील कोटकासिम जिला खैरथल तिजारा हाल सहायक हेल्पर प्रथम (स्टोर कीपर) कार्यालय सहायक अभियन्ता जयपुर विघुत वितरण निगम लिमिटेड पीपलु जिला टोक 2. अन्य व्यक्ति (अज्ञात) के विरूद्ध धारा उपरोक्त में बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट वास्ते क्रमाकंन हेतु प्रेषित है।(झाबर मल)अतिरिक्त पुलिस अधीक्षकभ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो टोक..........कार्यवाही पुलिस.............प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईपशुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री झाबरमल अति. पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो टौंक ने प्रेषित की है मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7, 7ए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) व 61(2) बी.एन.एस. 2023 में आरोपीगण 1. दीपक सिंह यादव पुत्र श्री रणधीर सिंह यादव जाति यादव उम्र 32 साल निवासी ग्राम नरवास पुलिस थाना कोटकासिम तहसील कोटकासिम जिला खैरथल तिजारा हाल सहायक हेल्पर प्रथम (स्टोर कीपर) कार्यालय सहायक अभियन्ता जयपुर विघुत वितरण निगम लिमिटेड पीपलु जिला टोक 2. अन्य व्यक्ति

(अज्ञात) के विरूद्ध पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियां नियमानुसार जारी की गई। उक्त प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी श्रीमती कल्पना बंशीवाल, पुलिस निरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, भीलवाडा-प्रथम को मनोनित किया गया है। उक्त की रोजनामचाआम 243 पर अंकित है। (पुष्पेन्द्र सिंह राठोड) पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर। क्रमांक 1665-68 दिनांक 13.11.2025 प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-1. विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, टोंक 2- अधीक्षण अभियंता (पवस), जयपुर डिस्कॉम टौंक 3- पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, अजमेर 4-अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो टौंक। पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर।

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.
(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता हैं कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत है):

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):** **or (या)**

(2) **Directed (Name of I.O.): (जाँच अधिकारी का नाम):** kalpana bansiwal **Rank (पद):** निरीक्षक

No(सं.): **to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश किया गया) or(या)**

(3) **Refused investigation due to (जाँच के लिए) :**

or (के कारण इंकार किया, या)

(4) **Transferred to P.S.(थाना):** **District (जिला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति निःशुल्क शिकायतकर्ता को दी गई)
R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. **Signature/Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):**

Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Signed by: Pushpendra Singh Rathore
Location: Rajasthan,IN
Date: 1[illegible]/2025 [illegible]

15. **Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):**

Name(नाम): Pushpendra Singh Rathore
Rank (पद): SP (Superintendant of Police)
No(सं.):

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen)
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height(cms.) (कद(से.मी))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male	1993				

Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language /Dialect (भाषा /बोली)	Place Of(का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (धवल रोग)	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है |)